रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 5, 1973/आषाढ़ 14, 1895
No. 158] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 1973/ASADHA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th July 1973

SUBJECT.—*Licensing conditions under 1973-74 French Credit.*

No. 111-ITC(PN)/73.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under Indo French Financial Protocol 1973-74 (French General Credit, 1973-74) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

Import Licence

1. The import licence will be issued on CIF basis, with initial validity period of four months for contracting and twelve months for completing shipments.

2. Each import licence will bear a superscription, "French Credit—Project Portion" or "French Credit—Non-Project Portion" as the case may be. The two suffix in the licence code classification number will be—for project—"S/FE" and for non-project "S/FN".

3. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Deparment of Economic Affairs (WE-I Section) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

4. The condition regarding contracting will not be deemed to have been complied with unless complete contract documents as probided in para 25 below, are furnished within the stipulated period of four months.

5. Where this stipulation is not complied within four months, the import licence will be demeed to have become invalid. The import licence may, however, be revalidated on an application by the party, alongwith the licence in original, to the licensing authority giving reasons for not complying with the requirement in time.

6. The request for revalidation would be considered by the licensing authority on merits, in consultation with the Department of Economic Affairs, and if accepted, the licence will be revalidated for contracting for a further period not exceeding three months.

Contracting

7. One contract, on the basis of firm prices has to be entered into with a French supplier for the whole amount of the licence.

8. However, more than one contract may be entered into subject to the permission specifically obtained from the Department of Economic Affairs, giving reasons for doing so, before placing orders.

9. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties *viz.*, the Indian importer and French supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance thereof in unequivocal terms by the French supplier.

10. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending/revising the various provisions will not be accepted. In such cases, it is advisable to prepare a final document including therein the terms agreed to by both the parties and signed as such.

11. Under the French Credit Agreement, Government of India have the option to substitute Buyers' Credit by Suppliers Credit if such a course is found to be more beneficial. It has, therefore, been considered necessary that Indian importers who have been given allocation of and above FF 5 million (Rs. 71.1 lakhs) from the project portion of the French Credit should invite quotations from French Suppliers for supply of equipment on credit terms mentioned below: down payment upto 5 per cent of the contract value; repayment of the balance ever a period of 10 years commencing six months after the completion of the shipments and interest rate of 6 per cent per annum free of Indian income tax inclusive of financing charges if any. The Indian importer should also invite quotations on the basis of payment terms indicated in paras 18—21 below. On the basis of this data, Government of India will decide the manner of financing the imports and advise the importer of the same.

Terms of Contract

General

12. The contract should be placed on a C.I.F. or C & F basis and should clearly indicate F.O.B. price, freight and insurance charge separately. All of these should be indicated in French currency. Contract must be entered only on C & F basis, by a Government agency or a public sector undertaking. If any importer desires to enter into a contract on f.o.b. basis, he should seek prior permission of the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance New Delhi giving reasons for doing so.

13. If any commission is to be paid to the Indian agent of the French Supplier, it will be shown separately from the value of the contract. The Indian agents' commission will be paid in Indian rupee but will be set against the total value of the import licence.

14 The value should be reckoned at present at the central rate of one French= Rs. 1.422. The above rate of exchange is, however, subject to revision.

Value Limits of Contracts

15. The value of each contract should not fall below the amounts indicated against each category as under:

	FF Million	(Rs. lakhs)
(i) Large Industrial Project	5.00	(71.100)
(ii) Projects for heavy eq ent	5.00	(71.100)
(iii) Fertilizers	0.50	(7.110)
(iv) Capital Goods	0.20	(2.844)
(v) Other goods	0.05	(0.711)

Origin of Goods

16. The goods should be of French origin unless a part thereof is permitted by the French authorities to be of non-French origin. A stipulation as to the origin of goods should be incorporated, and wherever necessary, a letter evidencing approval of the French authorities to the third country imports should accompany the contract.

Port of shipment

17. Goods, if necessary, can be shipped from non-French ports.

Payment Terms

18. The French Credit does not provide for deferred payments. Full payment will therefore be made to the French supplier against shipments/completion of erection/commissioning of the plant as indicated in the following paragraphs.

19. *Advance Payments.*—An advance payment of maximum 5 per cent of the FOB price of the supplies can be provided at the time of the contract coming into effect, unless any other terms are settled between the buyers and the sellers, in accordance with the normal international commercial practice in this matter, for the particular type of goods conerned.

20. However, where an amount higher than 5 per cent is to be provided for payment as an advance, prior approval of the Department of Economic Affairs should be obtained, with full justification, before any commitments are made.

21. *Other Payments*—(a) *Industrial Project.*—Apart from the amount of down payment, it is permissible to pay the balance amount at the time of last shipment of equipment under the contract, or at the time of completion of erection, or on commissioning of the plant.

Where the nature of supplies/services covered by the contract requires a performance guarantee, necessitating a provision to the effect that the last instalment of 10 per cent shall no fall due prior to the end of an adequate period after completion of the deliveries of goods or of the project, the importers could alternatively, agree to the provision for making hundred per cent payment at the time of last shipment subject to the condition that a performance guarantee of an approved bank is furnished by the French supplier to the Indian importer; such a guarantee could be discharged at the end of an adequate period after the delivery of the last shipment as may be agreed mutually between the Indian importer and French supplier.

However, depending on the type of project, the payment for contracts for industrial projects may also be provided for, as for the commodities, referred to in sub-paragraph (b) below.

(b) *Commodities.*—In the contracts for commodities (light equipment, spares, components, chemicals, fertilizers, other raw materials, etc.) the amount left after down payment will be payable prorata according to the value of goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule.

Other Conditions

22. To make a contract eligible for financing under the French Credit it should suitably incorporate the following provisions, apart from those indicated above as also any others considered necessary by the contracting parties:

(i) The two contracting parties agree that the contract is subject to the approval of the Indian and French authorities for financing under the French Credit in terms of the Indo-French Financial Protocol and the licensing conditions issued thereunder by the Government of India.

(ii) The French supplier agrees that he will be paid from the French Treasury credit upto the first 50 per cent of the value of the contract and the payment of the remaining 50 per cent will be made from the Buyers' (Bank) credit in accordance with para 28 of licensing conditions.

(iii) The Indian importer and the French supplier agree to furnish such information and documents as may be required under the French Credit agreements between the Government of India and France.

23. It should be ensured that the terms of payments, *e.g.* amount payable on the contract becoming effective, and that payable against shipment/completion of project etc. are set out in precise terms, with details showing the schedule of deliveries/payments etc. The value of the contract should invariably be broken down into F.O.B. value, freight and insurance elements.

Customary Guarantee

24. The importer may arrange and provide for in the agreement customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

Submission of Contract Documents

25. Within 20 days of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE-1 Section), North Block, New Delhi:—

(i) Ten certified copies of the contract and of any further amendments(s) duly executed in English language and signed by both the Indian importer and the French supplier.

(ii) Photo copy of import licence valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by French supplier of the order placed on him by the importer.

(iii) A bank guarantee (as in Annexure I) obtained from a schedule bank authorised by the Reserve Bank of India to deal in foreign exchange. This bank guarantee is not to be furnished by the Government departments and public undertakings.

(iv) Other particulars stipulated in Annexure II in duplicate.

The contract will be processed further only after all these document have been furnished by the importer.

Notification of Contract

The contract will be processed further only after all these documents have been Councillor for Economic Aaliffrs, Embassy of France, New Delhi, if it is complete the documents, including the bank guarantee, etc. are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the French Credit.

27. The contract will be deemed to have become effective 20 days after its notification as above by the Department of Economic Affairs, provided no objection is raised by the Embassy of France within that period.

Methods of Payments

28. Payments are made to the supplier from the French treasury loans and the banks credit, on presentation of documents listed in annexure-III to the Banque Francaise du Commerce Exterieur, on the basis of a "letter of instruction" to be issued by the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, on effectuation of the contract.

29. No remittances from India are permissible under the import licence issued under the French Credit, except in terms of condition 31 below.

30. Immediately after payments have been effected in accordance with the letter of instruction referred to above, the original set of documents (negotiable), alongwith details of bank charges (1/8th of one per cent documentation charge, plus tax at the rate of 17.60 per cent thereon) and expenses on postages etc. will be sent by the Banque Francaise du Commerce Exterieur, to:—

(i) the importer's bank in India, which has provided the bank guarantee in the case of importers in the private sector; or

(ii) to the nominated branch of the State Bank of India, or of any one of the fourteen nationalised banks, in the case of public sector undertakings; or

(iii) to the importer direct, in the case of the departments of Central and State governments, including State electricity boards.

31. Within a week of receiving the intimation about bank charges, from the Banque Francaise du Commerce Exterieur, the Indian bank will remit the amount of banking charges and postage including cable charges directly to the French bank concerned without affecting Government of India's account.

32. For this purpose, necessary rupees will be collected by the Indian bank from the Indian importer, in addition to the amount required under their guarantee.

33. In respect of imports by Central and State governments Departments and the State electricity boards the remittances of banking charges and postage including cable charges will be arranged by the Controller of Aid Accounts, by debit to the authority concerned. For this purpose those authorities should intimate the details of the charges to be paid, promptly to he Controller of Aid Accounts.

Effecting Rupee Deposits

34. (i) *Private Sector importers and public sector undertakings.*—Within ten days, at the maximum, of the receipt of the documents mentioned in condition 30 *supra*, the bank which has issued the guarantee, or the nominated branch of the State Bank of India or one of the fourteen nationalised banks in India, will arrange to deposit equivalent of the payment made to the foreign suppliers as indicated in the invoice together with commission and incidental charges @ 1 per cent *ad valorem*, on the payments made to the suppliers. In addition, interest at 6 per cent per annum, for the actual period between the date of payment to the foreign suppliers and the date of deposit of rupee equivalent, or any other amounts, as may be required by the Government of India shall also be paid into the government account.

The rupee equivalent will be calculated at the composite rate arrived at on the basis of a formula given in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972 as amended by the Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated the 21st July, 1972 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the Ministry of Commerce.

(ii) *Government Departments.*—In respect of imports made by the departments of Central or State governments (including State electricity boards) the documents will be sent direct to the importers, who will ensure that their respective accounts officers promptly accept the debits, as and when raised by the Accountant General, Central Revenues, New Delhi, on the basis of the advices issued by the Controller of Aid Accounts. The above procedure of making deposits will not apply in their case.

35. It will be the responsibility of the concerned bank in India which has given the guarantee or the State Bank of India or one of the fourteen nationalised banks, as the case may be, to arrange for the timely deposits of these amounts, before handing over the original shipping documents to the importer.

36. Deposits may be made either at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6 or remitted by means of a demand draft from the local branch of the State Bank of India, or its subsidiaries, drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6

(drawee and payee) for credit to Central Government account in terms of Ministry of Commerce Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated 30th August, 1968 and Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated the 24th October, 1968. The challan should, *inter alia*, indicate the amount of foreign exchange the composite rate applied, the date on which the supplier was paid and the date of rupee deposit and all other essential particulars prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5th October, 1971. The principal amount, the incidental charge @ 1 per cent *ad valorem* and the interest payment at 6 per cent should be shown separately. The demand draft should be sent direct to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 with treasury challan (duly filled in and signed by remitter) in quadruplicate. The Head of Account to be credited is "T-Deposits and Advances Part II—Deposits not bearing interest—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad under Direct payment procedure under foreign loans and credits", under the detailed head, "Deposits for cost of equipment etc. obtained under FF 180.00 million French Credit, 1973-74".

37. One copy of the treasury challan and form evidencing the rupee deposit duly receipted by the Reserve Bank of India, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, or intimation regarding the furnishing of demand draft to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 should be sent by registered post by the bank concerned to the Controller of Aid Accounts, indicating reference to the letter of instruction issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

38. The Indian bank will also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the import licence and send the requisite 'S' form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Release of Bank Guarantee

39. In the case of private sector contracts, the concerned bank in India after discharging all the obligations in terms of the bank guarantee including remittance of banking and other charges may apply to Controlelr of Aid Accounts for the release of the bank guarantee. The application in this regard will be made in the form given in Annexure IV.

Miscellaneous

40. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise, between the Indian importer and the French suppliers.

41. The Indian importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by Government from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement with the French Government and French banks.

42. Any breach or violation of any of the condition prescribed herein will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and orders issued thereunder.

ANNEXURE I

[Para 25(ii)]

BANK GUARANTEE BOND

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) have agreed to arrange for payment in FF for the import of.....
.....
by.....
(hereinafter called the importer)
under the terms and conditions of the French Credit and in pursuance of Import Licence No.....
.....
issued on.....in favour of the importer against the above mentioned credit, We.....
Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit within

ten days of the receipt of the advice of payment Indian rupees equivalent to FF.... .....converted at the composite rate of exchange of FF 1 arrived at on the basis of the formula given in Public Notice issued by the Ministry of Foreign Trade, New Delhi, No. 15-ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972 as amended by Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated 21st July, 1972 or as notified from time to time in public notices of the Government of India or A.D. Circulars of the Reserve Bank of India alongwith commission and other charges at 1 per cent *ad valorem* converted at the above rate for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by the Government of India under the said credit, together with interest thereon at the rate of 6 per cent per annum, from the date of payment to the French supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit to the Government account. We shall arrange the deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi, State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, or where this may not be feasible by means of a Demand Draft drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (for credit to Central Government Account) The demand draft shall be sent direct to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 alongwith Treasury Challan (duly filled in and signed by remitter), in quadruplicate.

2. We the..... Bank, also undertake that the negotiable set of import documents will be released to the importer *only after the rupee deposits contemplated above have been made.*

3. We the..... Bank, also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may direct, such sums not exceeding Rs..... .....or any part thereof, for the time being due and payable by the importer togeher with interest thereon at the rate of six per cent per annum, from the date of payment to the French Supplier and commission and other charges @ 1 per cent *ad valorem*. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part a nd in regard to the amount payable to the Government by us..... Bank, shall be final and binding on us..... Bank.

4. We.....Bank, also undertake to remit the banking and postal including cable charges payable to the French bank concerned and recover the same from the importer without affecting the Government of India account.

5. We.....Bank, further agrce that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in IMF parity rate of exchange or otherwise, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in porportion to this change.

6. We.....Bank, further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract regarding delivery of the equipment and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

7. The Guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the..... Bank, and the Government shall have the fullest liberty without the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and either to enforce payment by the importer of any of the amount the payment whereof is intended o be hereby secured and the..... .....Bank, shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reason of time being given, to the importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or think

whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the..... Bank from its such liability.

8. We..... Bank, lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government in writing.

9. Our liability under this guarantee is normally restricted to Rs..... @ .... (charges not expected to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the ..... day* of .....(Month) 19.....

10. We....., however, undertake to make such additional deposits as may be necessary in terms of Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28-1-72, as notified from time to time. Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, *i.e.*, upto....., all rights of the Government of India under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated the..... day of .....

Accepted for and on behalf of the President of India
by Shri.....
(Name and designation)

for

Signature.....

@This amount should be worked out by adding 1% to the value of the contract at the Central rate of 1 FF=Rs. 1,422.

*This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

NOTE.—The value of the Stamped paper on which guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps.

ANNEXURE II

(In duplicate)

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
W.E.I. Section, North Block,
New Delhi-1.

SUBJECT.—*Import under the French Credit*

Sir,

In connection with the import of..... (Short description of the goods or services) from France under the above credit, we furnish the following particulars:—

(a) Name and Address of importer.

(b) Import Licence:

(i) Number

(ii) Date

(iii) Amount

(c) Name and Address of the French suppliers:

(d) Date of the conract:

OR

Date of Suppliers final letter of acceptance of the order

(e) Short description of goods to be imported;

(f) Value of the contract: FOB Price

Freight Insurance.....

TOTAL

(g) The different dates on which the equipment will be shipped or services performed, the value of each shipment, or service performed, based on the delivery schedules as stipulated in the contract; .....

(h) The date on which payments under the contract will fall due.

(i) in respect of advance payment

(ii) Other payments.

2. Ten certified copies of the contract (or each of the order and the letter of acceptance) and of the amendment (if any), and a *photostat* copy of the import licence are enclosed.

Applicable to importers in private sector

*3. A bank guarantee established by.....

(name and address of the Indian

.....

bank, authorised to deal in foreign exchange)

and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamp Act, 1899, is also attached.

OR

Applicable to the Public Sector Undertaking.

*3. The import documents may be sent to the.....

(complete name and postal

.....

address of the branch of the State Bank of India or of any of the fourteen

.....

nationalised banks).

who will release the documents to us only after making the deposit of the rupee equivalents into Government account calculated at the composite rate of exchange arrived at on the basis of the formula given in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28-1-72 as amended by Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated 21-7-72 or as notified from time to time by public notices of the Government of India or by A.D. Circulars of the Reserve Bank of India with interest at 6% per annum from the date of payment to the French suppliers to the date of deposit of rupee equivalent and commission and incidental charges at 1% *ad valorem* and after remitting banking charges (1/8th of one percent documentation charges plus tax @ 17.60% thereon) and expenses for actual postage charges as required under the licensing conditions.

OR

Applicable to Departments or Central and State Governments (including electricity boards)

*3. Debits relating to the transactions and adjustable in the books.....

.....(Designation and complete postal Address of the Accounts Officer).

and we shall ensure that they are adjusted as soon as they are raised in terms of the licensing conditions.

(*) Delete whichever is not applicable.

4. You are requested to get the contract approved for financing under the French credit and issue necessary authorisation to the French authorities to arrange for payments to the suppliers or their bankers.

Yours faithfully,

Licencee.

ANNEXURE III

Illustrative List of Documents

(Para 28)

1. Commercial invoice for the value of the equipment shipped and for details of any down payments, as the case may be.

2. Complete set of clean-on-board ocean or charter party bills of landing or air way bills; as the case may be, with packing lists where applicable, certificates if any prescribed in the contract.

3. Written attestation from the suppliers along with necessary customs documents, certifying that the French suppliers have complied with the percentage of french expenses authorised by the French Government.

4. Any other documents.

ANNEXURE IV

Form of Application for release of Bank Guarantee

(Para 39)

To

The Controller of Aid Accounts,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
10, Parliament Street,
New Delhi-1.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposits made by us in discharge of our obligations under **Bank Guarantee No**..... dated.....for an amount of Rs.....

(i) The name and full address of the importer/licensee on whose behalf the bank guarantee was furnished.

(ii) The import licence No., date, value, brief description of the equipment and/or commodities allowed for import thereunder.

(iii) Particulars of the Letter of Instruction issued by the Ministry of Finance (to be given separately for each Letter of Instruction).

(a) Letter No. and Date.

(b) Amount for which the instruction had issued.

(iv) Particulars of imports and rupee deposits made:

(a) Invoice No. and date

(b) Amount of invoice (net) in French Francs.

(c) Amount of rupee deposits

(d) Relative challan no. and date and the name of Treasury/ Bank.

(e) If by demand draft, No. and date of the demand draft and No. and date of the letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

(v) Amount utilised and balance unutilised in French Francs under each Letter of Instruction.

2. We certify *that the balance amount of French Francs available in the Letter of Instruction given by the Ministry of Finance will not be utilised/our obligations under the Bank guarantee in question have been duly discharged.

3. We also confirm that the Banking and postal charges including cable charges payable to the French bank have been duly remitted by us to the French Bank.

4. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Agent for and on behalf of the Bank.

*Whichever is applicable.

वाणिज्य मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1973

विषय : फ्रैंच क्रेडिट 1973–74 के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में शर्तें।

संख्या : 111–आई०टी०सी० (पीएन)/73.—भारत-फ्रैंच वित्तीय नयाचार 1973–74 (फ्रैंच सामान्य क्रेडिट 1973–74) के अन्तर्गत आयात लाइसेंस को जारी करने से सम्बन्धित शासित होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है व्यापारी की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

परिशिष्ट

आयात लाइसेंस

1. आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा आधार पर संविदा करने के लिए चार महीने और पोत लदान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

2. प्रत्येक आयात लाइसेंस पर एक शीर्षक "फ्रान्स क्रेडिट—परियोजना भाग" या "फ्रान्स क्रेडिट–गैर–परियोजना भाग" जैसा भी मामला हो, होगा। लाइसेंस संकेत वर्गीकरण संख्या में दो प्रत्यय परियोजना के लिए "एस एफ ई" और गैर-परियोजना के लिए "एस एफ एन" होंगे।

3. आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक तथा मूल्य और जिस तिथि तक संविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे उसकी संभाव्य तिथि निर्दिष्ट करते हुए आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तथ्य से वाणिज्य कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 अनुभाग) को अवगत करना चाहिए।

4. जब तक नीचे के पैरा 25 की शर्त के अनुसार पूर्ण संविदा दस्तावेज चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं कर दिये जाते तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि संविदा करने से सम्बन्धित शर्त का अनुपालन कर लिया गया है ।

5. जिस मामले में इस अनुबन्ध का चार महीनों के भीतर अनुपालन नहीं किया जाएगा उसमें आयात लाइसस अवध समझा जाएगा । लेकिन पार्टी द्वारा समय के भीतर शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण बताते हुए मूल लाइसेंस के साथ एक आवेदन पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को देने पर आयात लाइसेंस पुनर्बंध किया जा सकता है ।

6. पुनर्बंध के लिए आवेदन पर लाइसेंस—प्राधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से विचार किया जाएगा और यदि आवेदन-पत्र मंजूर कर लिया जाएगा तो लाइसेंस को संविदा करने के लिए तीन महीनों की और अवधि के लिए पुनर्बंध किया जाएगा ।

संविदा करना

7. फ्रान्सिसी संभरक के साथ एक संविदा लाइसस की पूर्ण धन राशि के लिए निश्चित कीमतों के आधार पर करनी है ।

8. लेकिन एक संविदा से अधिक संविदाय तभी की जा सकती हैं जब कि आदेश देने से पहले ऐसा करने के कारण बताते हुए आर्थिक कार्य विभाग से विशेष रूप से अनमति प्राप्त कर ली गई हो ।

9. संविदा में सामान्यत: दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और फ्रान्सिसी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया आदेश और फ्रान्सिसी संभरक द्वारा स्पष्ट शब्दों में उस आदेश की स्वीकृति का पत्र शामिल होगा ।

10. जिस संविदा में दोनों पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों को बार बार संशोधित/परिशोधित करने के पत्राचारों की श्रंखला शामिल होगी वह स्वीकार नहीं की जाएगी । ऐसे मामलों में दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकार की गई और हस्ताक्षरित शर्तों सहित एक अन्तिम दस्तावेज तयार करने की सलाह दी जाती है ।

11. फ्रांसिसी क्रेडिट समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार को यह छूट है कि यदि वह ऐसी प्रणाली को अधिक लाभदायक समझेगी तो क्रेताओं के क्रेडिट को संभरकों के क्रेडिट द्वारा प्रतिस्थापित करेगी । अत: यह आवश्यक समझा गया है कि भारतीय आयातक जिन्हें फ्रान्सिसी क्रेडिट के परियोजना भाग में से 50 लाख फ्रान्सिसी फ्रेंक (71.1 लाख रुपये) या इससे अधिक का आवंटन किया गया है उन्हें क्रेडिट की निम्नलिखित शर्तों पर उपस्कर के संभरण के लिए फ्रान्सिसी संभरकों से दरें आमंत्रित करनी चाहिएं :—संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत तक का तत्क्षण भुगतान; पोत लदानों के पूर्ण होने के बाद 6 महीने से लेकर 10 साल की अवधि में शेष धन राशि की चुकौती और वित्त दान सम्बन्धी यदि कोई प्रभार हो तो उसके सहित भारतीय आयकर से मुक्त 6 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज/भारतीय आयातक को नीचे के परा 18–21 में निर्दिष्ट भुगतान शर्तों के आधार पर भी दरें आमंत्रित करनी चाहिए । भारत सरकार इस आंकड़े के आधार पर आयातों के वित्त दान के तरीके का निश्चय करेगी और आयातक को उसका परामर्श देगी ।

संविदा की शर्तें

सामान्य :

12. संविदा लागत भाड़ा या लागत और भाड़ा आधार पर होनी चाहिए और उसमें जहाज पर निःशुल्क कीमत भाड़ा और बीमा खर्च अलग-अलग निर्दिष्ट होने चाहिएं। ये सब फ्रान्सिसी मुद्रा में निर्दिष्ट होने चाहिए। किसी सरकारी अभिकरण अथवा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान द्वारा केवल लागत तथा भाड़ा के आधार पर संविदा करना आवश्यक है। यदि कोई आयातक जहाज पर निःशुल्क के आधार पर संविदा करने का इच्छुक है तो उसको ऐसा करने के कारण बताते हुए आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई–1 अनुभाग) वित्त मंत्रालय नई दिल्ली की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

13. यदि फ्रैंच संभरक के भारतीय अभिकर्ता को कोई कमीशन चुकाया जाना है तो यह संविदा के मूल्य से अलग दिखाया जाएगा। भारतीय अभिकर्ता का कमीशन भारतीय रुपये में चुकाया जाएगा परन्तु आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के प्रति जोड़ा जाएगा।

14. **वर्तमान समय में मूल्य की गणना**—एक फ्रान्सिसी फ्रेन्क—1.422 रुपये की केन्द्रीय दर पर करनी चाहिए। लेकिन मुद्रा विनिमय की उपर्युक्त दर परिवर्तन के अधीन है।

संविदाओं की मूल्य सीमाएं :

15. प्रत्येक संविदा का मूल्य नीचे प्रत्येक श्रेणी के सामने निर्दिष्ट की गई धन राशियों से कम नहीं होनी चाहिए :—

मिलियन

	फ्रान्सिसी फ्रैंक	(लाख रुपये)
(1) बृहत औद्योगिक परियोजना . .	5.00	(71.100)
(2) भारी उपस्कर के लिए परियोजना . .	5.00	(71.100)
(3) उर्वरक	0.50	(7.110)
(4) पूंजीगत माल	0.20	(2.844)
(5) अन्य माल	0.05	(0.711)

माल का उद्गम स्थान :

16. जब तब माल के किसी भाग की गैर-फ्रान्सिसी उत्पादित होने की अनुमति फ्रान्सिसी प्राधिकारियों द्वारा नही दे दी जाती तब तक माल फ्रान्स में उत्पादित होना चाहिए। माल के उद्गम स्थान के विषय में संविदा में एक अनुबन्ध समाविष्ट होना चाहिए और जब कभी आवश्यक हो, तीसरे देश को आयातो के लियें फ्रान्सिसी प्राधिकारियों के अनुमोदन का साक्ष्य प्रदर्शित करने वाला एक पत्र संविदा के साथ होना चाहिए।

पोतलदान का पत्तन :

17. यदि आवश्यक हो तो माल गैर-फ्रान्सिसी पत्तनों से भी लादा जा सकता है।

भुगतान की शर्तें :

18. फ्रांसिसी क्रेडिट में आस्थगित भुगतान की व्यवस्था नहीं है । इसलिये फ्रान्सिसी संभरक को पूरा भुगतान पोतलदानों पर/निर्माण पूरा हो जाने पर/संयंत्र के नियोजित हो जाने पर नीचे की कंडिकाओं में निर्दिष्टानुसार किया जाएगा ।

19. **अग्रिम भुगतान**:—यदि क्रेता और विक्रेता के बीच किसी विशेष किस्म के सम्बद्ध माल के लिये सामान्य अन्तराष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार कोई अन्य शर्तें तय नहीं की जाती है तो संभरण किए जाने वाले माल के जहाज पर निःशुल्क कीमत के अधिक से अधिक 5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की व्यवस्था संविदान लागू होते ही की जा सकती है ।

20. लेकिन, जिस मामले में 5 प्रतिशत से अधिक अग्रिम भुगतान के लिये व्यवस्था करनी हो उसमें कोई वचनबद्धता करने से पहले पूर्ण औचित्य के साथ वित्तीय कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

21. **अन्य भुगतान** (क) **औद्योगिक परियोजना**:—तत्क्षण भुगतान की धन राशि के अतिरिक्त शेष धनराशि संविदा के अधीन उपस्कर के अन्तिम पोतलदान के समय, या निर्माण के पूर्ण होने के समय या संयंत्र के नियोजित हो जाने के समय चुकाने की अनुमति है ।

जिस मामले में संविदा के अन्तर्गत आने वाले संभरण/सेवाएं ऐसी हों कि उन में ऐसी एक निष्पादन गारन्टी की आवश्यकता हो जिस में इस सम्बन्ध में एक अनुबन्ध की आवश्यकता हो कि 10 प्रतिशत की अन्तिम किश्त माल के वितरण के पूर्ण होने या परियोजना पूर्ण होने के पर्याप्त समय के बाद तक देय नहीं होगी तो ऐसे मामले में आयातकों के लिये यह विकल्प है कि वे 100 प्रतिशत भुगतान अन्तिम पोतलदान के समय करने की शर्त से सहमत हो सकते है, यह इस शर्त के अधीन है कि फ्रान्सिसी सम्भरक द्वारा भारतीय आयातक को किसी अनुमोदित बैंक से एक निष्पादन गारन्टी प्रस्तुत की जाए; ऐसी गारन्टी अन्तिम पोतलदान के माल के वितरण के पर्याप्त समय जो भारतीय आयातक और फ्रान्सिसी संभरक के बीच आपस में तय किया जाए, के बाद मुक्त की जा सकती है ।

लेकिन, भुगतान परियोजना की किस्म पर निर्भर करता है, औद्योगिक परियोजनाओं के लिये संविदाओं के लिये भुगतान की व्यवस्था भी नीचे उप-कंडिका (ख) में वर्णित पन्य वस्तुओं की तरह ही की जा सकती है ।

(ख) **पन्य वस्तुएं** :—पन्य वस्तुओं (हल्के उपस्कर, फालतु पूर्जे, संधटक, रसायन, उर्वरक, अन्य कच्ची सामग्री आदि) के लिये संविदाओं में तत्क्षण भुगतान के बाद शेष धन राशि प्रत्येक लदान द्वारा शामिल माल के मूल्य के अनुसार पोत परिवहन अनुसूची के आधार पर यथा अनुपात देय होगी ।

अन्य शर्तें :

22. फ्रान्सिसी क्रेडिट के अन्तर्गत संविदा को वित्तदान के लिये अर्हक बनाने के लिये ऊपर निर्दिष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त और संविदा करने वाली पार्टियों द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य उपबन्धों के भी अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित उपबन्ध भी उचित रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(1) संविदा करने वाली दोनों पार्टियां सहमत है कि संविदा भारत–फ्रान्स वित्तीय नयाचार और उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई लाइसेंस शर्तों

के अनुसार फ्रान्सिसी क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिये भारतीय और फ्रान्सिसी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन है ।

(2) फ्रान्सिसी संभरक इस बात से सहमत है कि उसको संविदा के मूल्य का प्रथम 50 प्रतिशत तक फ्रान्सिसी राजकोष क्रेडिट से चुकाया जायगा और शेष 50 प्रतिशत क्रेता के (बैंक) क्रेडिट से लाइसेंस शर्तों के पैरा 28 के अनुसार किया जाएगा ।

(3) भारतीय आयातक और फ्रान्सिसी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने को सहमत है जो भारत सरकार और फ्रान्सिसी सरकार के बीच फ्रान्सिसी क्रेडिट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मांगे जाएं ।

23. यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि भुगतानों की शर्तें, जैसे संविदा प्रभावी होने पर देय धनराशि और पोतलदानों/परियोजना के पूर्ण होने आदि पर देय धनराशि, स्पष्ट शब्दों में वितरणों/भुगतानों आदि की अनुसूची प्रदर्शित करते हुए लगाई गई है । संविदा का मूल्य स्थिर रूप से जहाज पर निःशुल्क मूल्य, भाड़ा और बीमा तत्वों में अलग-अलग होना चाहिये ।

प्रथगत गारन्टी :

24. आयातक समझौते में ऐसी प्रथागत गारन्टी (यों) की व्यवस्था कर सकता है और दे सकता है जो उसके हित की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो ।

संविदा दस्तावेजों का प्रस्तुतकरण :

25. संविदा समाप्त होने के 20 दिन के भीतर आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्लू ई–1 अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए :—

(1) भारतीय आयातक और फ्रान्सिसी संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित और अंग्रेजी भाषा में विधिवत् कार्यान्वित संविदा और बाद में किए गए किसी संशोधन (नों) की 10 प्रमाणित प्रतियां ।

(2) संविदा के कार्यान्वयन की तिथि को संविदा करने के लिये वैध आयात लाइसेंस/आयातक द्वारा फ्रान्सिसी संभरक को दिए गए आदेश की फ्रान्सिसी संभरक द्वारा स्वीकृति की फोटोप्रति ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी एक अनुसूचित बैंक से प्राप्त की गई एक बैंक गारन्टी (अनुबन्ध 1 के अनुसार) । यह बैंक गारन्टी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी है ।

(4) अनुबन्ध–2 में निर्धारित अन्य दस्तावेज दो प्रतियों में ।

संविदा पर आगे तभी कार्रवाई की जाएगी जबकि आयातक द्वारा ये सब दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों ।

संविदा की अधिसूचित करना :

26. संविदा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्थिक कार्यों के सलाहकार, फ्रान्सिसी दूतावास नई दिल्ली को अधिसूचित की जाएगी, यदि यह पूर्ण है, बैंक गारन्टी आदि सहित दस्तावेज सही है

तो आयात लाइसेंस संविदा करने के लिये वैध है और फ्रान्सिसी क्रेडिट के अधीन वित्त दान के लिये अर्हक समझा जाएगा ।

27. संविदा उपर्युक्त अनुसार आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना के 20 दिनों के बाद लागू समझी जाएगी बशर्ते कि इस अवधि के भीतर फ्रान्सिसी दूतावास द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती ।

भुगतानों के तरीके

28. संभरक को भुगतान बैंक फेल्काइजड कोमर्स एक्सटीरियर को अनुबन्ध 3 में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फ्रान्सिसी राजकोष ऋण और बैंक क्रेडिट के संविदा प्रभावी होने पर, सहायता लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले "अनुदेश-पत्र' के आधार पर किए जाएंगे ।

29. फ्रान्सिसी क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस के अधीन नीचे की शर्त 31 के सिवाय भारत से किसी भी धन परषण की अनुमति नहीं है ।

30. ऊपर उल्लिखित अनुदेश पत्र के अनुसार भुगतान प्रभावी हो जाने के तुरन्त बाद बैंक प्रभारों (एक प्रतिशत दस्तावेंजीकरण खर्च का 1/8 उसपर 17.60 प्रतिशत की दर से कर) और डाक खर्च आदि के ब्यौरों के साथ दस्तावेजों (परक्राम्य) का मूल सेट बैंक फेल्काइजड कोमर्स, एक्सटीरियर द्वारा निम्नलिखित को भेजा जाएगा :—

(1) भारत में भारतीय आयातक के उस बैंक को जिसने निजी क्षेत्र के आयातकों के मामले में बैंक गारन्टी दी हैं ; अथवा

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मामले में स्टेट बैंक आफ इंडिया की नामित शाखा को या राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में से किसी एक बैंक को ; अथवा

(3) राज्य विद्युत बोर्ड सहित केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों के मामले में सीधे आयातक को ।

31. बैंक फेल्काइजड कोमर्स से बैंक प्रभारों की सूचना प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर भारतीय बैंक केवल प्रभारों सहित बैंक प्रभारों और डाक खर्चों की धनराशि को भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सीधे सम्बद्ध फ्रान्सिसी बैंक को प्रेषित करेगा ।

32. इस उद्देश्य कार्य के लिये भारतीय बैंक द्वारा भारतीय आयातक से उनकी गारन्टी के अन्तर्गत अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त आवश्यक रुपया एकत्र किया जाएगा ।

33. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों और राज्यों की विद्युत बोर्ड द्वारा किए गए आयातों के संबंध में केवल प्रभारों सहित बैंक प्रभारों और डाक खर्चों के परेषण की व्यवस्था सहायता लेखा नियंत्रक द्वारा सम्बद्ध प्राधिकारी का नाम लिखकर की जाएगी। इस उदेश्य के लिये उन प्राधिकारियों को सहायता लेखा नियंत्रक को चुकाए जाने वाले प्रभारों से तुरन्त सूचित करना चाहिए ।

रुपया निक्षेप को प्रभावी करना

34. (1) **निजी क्षेत्र के आयातक तथा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान**—उपर्युक्त शर्त 30 में उल्लिखित दस्तावेजों की पावती के अधिक से अधिक 10 दिन के भीतर वह बैंक जिसने गारन्टी जारी की है या स्टेट बैंक आफ इंडिया की नामित शाखा या भारत में राष्ट्रीयकृत 14 बैंकोंमें

से कोई भी एक बैंक बीजक में संकेतित अनुसार विदेशी संभरकों को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये को तथा इसके साथ साथ संभरकों को किए गए भुगतानों पर कमीशन और आनुषंगिक प्रभारों को भी यथा मूल्य 1 प्रतिशत की दर से जमा करने की व्यवस्था करेगा । इसके अतिरिक्त, विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तारीख से और समतुल्य रुपया जमा करने की तारीख के बीच की वास्तविक अवधि के लिये 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अथवा अन्य किसी किस्म की राशि भी जो भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाए, सरकारी लेखे में जमा करवाई जाएगी ।

समतुल्य रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या 108–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21–7–1972 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 15–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28–1–72 में दिए गए सूत्र के आधार पर निश्चित की गई मिश्रित दर पर या समय समय पर मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात द्वारा जारी होने वाली सार्वजनिक सूचनाओं में अधिसूचित की जाने वाली दर के आधार पर की जाएगी ।

(2) सरकारी विभाग.––केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों द्वारा (राज्य विद्युत बोर्ड सहित) किए गए आयातों के सम्बन्ध में दस्तावेज सीधे आयातकों को भेजे जाएंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि नियंत्रक लेखा द्वारा जारी किए गए सूचना पत्रों के आधार पर जैसे ही और जब महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा मांगा जाएगा तो उनके अपने लेखा अधिकारी जमा को तुरन्त स्वीकार करेंगे । उनके मामलों में उपर्युक्त निक्षेप करने की क्रियाविधि लागू नहीं होगी ।

35. यह जिम्मेदारी भारत के रिजर्व बैंक अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया या 14 राष्ट्रीकृत बैंकों में से इस एक बैंक की होगी जिसने गारन्टी दी है कि आयातकों को मूल पोतलदान दस्तावेज सौंपने से पहले इन धन राशियों के सामायिक निक्षेप करने की व्यवस्था करे ।

36. निक्षेप या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली 6 में किए जाएंगे अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखा या इसके उपसंगी से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा, दिल्ली 6 के (आदेशिती तथा प्रापी) नाम और क्रेडिट के लिए उसे केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा करने के लिए आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना संख्या : 184–आई टी सी (पी एन)/ 68, दिनांक 30–8–1968 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या : 233–आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 के अनुसार धन प्रेषण किया जाएगा । अन्य बातों के साथ-साथ चालान में विदेशी मुद्रा की धनराशि, लागू की गई मिश्रित दर, संभरकों को भुगतान की तिथि और रुपया निक्षेप करने की तिथि और अन्य सभी आवश्यक ब्यौरे जो सार्वजनिक सूचना संख्या : 132–आई टी सी (पी एन)/ 71, दिनांक 5–10–1971 में निर्धारित किए गए हैं, संकेतित होने चाहिएं । मूल धनराशि 1 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से आनुषंगिक प्रभार और 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान को अलग अलग दिखाया जाना चाहिए । दर्शनी हुंडी राजकोष चालान (विधिवत पूर्ण और प्रेषक द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली–6 को सीधे भेजी जानी चाहिए । लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि जमा होनी है, वह है––"टि–डिपोजिट्स एंड एडवांसिज पार्ट–2––डिपोजिट्स नाट बियरिंग इंटरेस्ट––सिविल डिपोजिट्स––डिपोजिट्स फार परचेजिस एन्ड अन्डर डायरेक्ट पेमेन्ट मोर्नीजर अन्डर फारेन लोन्स एंड क्रेडिट्स" अन्डर दि डिटेल्ड हैड, "डिपोजिट्स फार कास्ट आंफ इक्यूपमेंट एक्सेट्रा आप्टेन्ड अन्डर एफएफ 180.00 मिलियन फ्रेंच क्रेडिट 1973–74" ।

37. राजकोष चालान की एक प्रति और एक प्रपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि रुपया निक्षेप विधिवत रूप से रिजर्व बैंक आफ इंडिया या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी

शाखा, दिल्ली–6 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 को दर्शनी हुंडी प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सूचना सम्बद्ध बैंक द्वारा सहायता लेखा नियंत्रक को उनके द्वारा जारी किए गए निदेश पत्र का हवाला देते हुए तथा बीजक और पोत लदान दस्तावेजों की प्रतियों को भी संलग्न करते हुए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए ।

38. भारतीय बैंक भी आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रक प्रति पर रुपया निक्षेप की राशि का पृष्ठांकन करेगा और अपेक्षित प्रपत्र 'एम' रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजेगा ।

बैंक गारन्टी की रिहाई

39. निजी क्षेत्र संविदाओं के मामले में भारत में सम्बद्ध बैंक, बैंक गारन्टी के अनुसार सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के पश्चात जिन में बैंक के प्रेषण और अन्य प्रभार भी शामिल हैं, सहायता लेखा नियंत्रक को बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है ।

विविध

40. भारतीय आयातक तथा फ्रेंच संभरकों के बीच यदि कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो भारत सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

41. आयात लाइसेंस से उत्पन्न या सम्बन्धित किसी एक मामले और सभी मामलों तथा फ्रेंच सरकार और फ्रेंच बैंक के साथ के ऋण करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के दायित्वों को पूरा करने के सम्बन्ध में समय-समय पर, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अनुदेश, निदेश या आदेश का अनुपालन भारतीय आयातक शीघ्र ही करेगा ।

42. इस में निहित निर्धारित शर्तों को भंग करने या उनका उल्लंघन करने पर, आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अन्दर जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी ।

अनुबन्ध-1

[पैरा 25(III)]

बैंक गारंटी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे सरकार कहा गया है) के बदले में फ्रेंच क्रेडिट की शर्तों के अन्तर्गत.....को उपर्युक्त फ्रेंच क्रेडिट को विपरीत जारी
(इसके बाद इसे आयातक कहा गया है)
गए लाइसेंस संख्या .....दिनांक.....
के अनुसरण में आयातक द्वारा.....के आयात के लिए फ्रान्सिसी फ्रंक में भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम.....
उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति और उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा करने के लिए आयातक द्वारा प्रार्थना करने पर सार्वजनिक सूचना संख्या 108 आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21–1–72 द्वारा संशोधित विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 15–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28–1–72 में दिए गए फार्मूले या

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के ए० डी० परिपत्र के आधार पर या भारत सरकार की सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित फार्मूले के आधार पर हिसाब लगाकर एफ एफ आई के विनिमय की मिली-जुली दर पर परिवर्तित फ्रान्सिसी फ्रेंक.....के समतुल्य भारतीय रुपये तथा उसके साथ उपर्युक्त दर से परिवर्तित 1 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से कमीशन तथा अन्य प्रभार और इस पर फ्रान्सिसी संभरक को भुगतान करने की तिथि से लेकर सरकार के लेखे में जमा कराने की तिथि तक के समय के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सूद, भुगतान की सूचना की पावती की तिथि से 10 दिन के भीतर जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। हम रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 में सरकार के खाते में निक्षेप की व्यवस्था करेंगे और यह सम्भव नहीं हो सकने की स्थिति में स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली–6 (केन्द्रीय सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए) के नाम में और इसको देय दर्शनी हुंडी के माध्यम से व्यवस्था करेंगे। दर्शनी हुंडी राजकोष चालान (विधिवत भरे हुए और प्रेषणाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 को सीधे भेजी जाएगी।

2. हम.....बैंक, इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि आयात दस्तावेजों के परक्राम्य सेट की रिहाई आयातक को केवल तभी की जाएगी जबकि उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जा चुका हो।

3. हम.....बैंक, किसी बकाया धनराशि को जो आयातक द्वारा सरकार को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से चुकानी हो जैसा कि सरकार निदेश दे तो ऐसी बकाया धनराशि जो.. रुपये से अधिक नहीं हो या उसका कोई भाग और उस धनराशि के साथ, फ्रेन्च संभरकों को भुगतन की तिथि से आयातक द्वारा जितने समय तक यह देय रहे उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज तथा कमीशन और यथा मूल्य 1 प्रतिशत की दर से अन्य प्रभारों का आयातक द्वारा भुगतान न करने की त्रुटि पाई जाने पर हम क्षति पूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त करने का वचन देते हैं। आयातक द्वारा उक्त भुगतान करने की त्रुटि पर या उसकी तरफ से हमारे.....बैंक द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में त्रुटि होने पर हमारे.....बैंक के लिए सरकार का निर्णय अन्तिम और अनिवार्य होगा।

4. हम.....बैंक, यह भी वचन देते हैं कि हम भारत सरकार के लेखे को प्रभावी किए बिना ही सम्बद्ध फ्रेंच बैंक को अदा किए जाने वाले तार खर्चों सहित बैंक तथा डाक प्रभारों को प्रेषित कर देंगे और उसी को आयातक से वसूल कर लेंगे।

5. हम.....बैंक, आगे इस बात पर सहमत हैं कि मुद्रा विनिमय की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि समानता दर में या अन्यथा परिवर्तन के परिणामस्वरूप, आयातों के मूल्य में वृद्धि या संविदा के अन्तर्गत माल की शेष सुपुर्दगी के मूल्य में वृद्धि की धनराशि का समायोजन इस गारंटी बांड में उसी तिथि से और उसी अनुपात में कर दिया जाएगा जब से यह परिवर्तन लागू होगा।

6. हम.....बैंक, इससे भी सहमत हैं कि यह गारंटी साज-सामान की सुपुर्दगी के विषय में उक्त करार/संविदा के निष्पादन के समय तक और जब तक इस गारंटी के अधीन या इसकी वजह से सारी बकाया धनराशि पूर्णतया नहीं चुका दी जाएगी और इसके दावों की संतुष्टी या अदायगी नहीं कर दी जाएगी, तब तक पूर्णरूपेण लागू और प्रभावी रहेगी।

7. आयातक या.....बैंक के संविधान में किसी प्रकार के परिवर्तन का इस गारंटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को इस गारंटी को प्रभावित किए बिना अपने द्वारा

आयातक के विरुद्ध किसी समय या समय समय पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की और किसी धनराशि जिसका भुगतान इस गारंटी द्वारा आयातक से किया जाना है, आयातक पर लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और पूर्वोक्त मामले के संदर्भ में आयातक को दिए जाने वाले समय के कारण या सरकार की ओर से इसके द्वारा अनुग्रहपूर्वक आयातक के कोई अन्य धैर्य, कार्य या छूट या कोई अन्य मामला या वस्तु जो कानून में जमानतों से सम्बद्ध कुछ भी हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार की इस स्वतंत्रता.....बैंक को इसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिए प्रभाव डालेगी ।

8. हम .....बैंक, अन्त में यह वचन देते हैं कि सरकार की लिखित रूप से पूर्व सम्मति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे ।

9. इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व.....रुपये* (इस पर ब्याज प्रभार के साथ दी गई गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिक होने की आशा नहीं है) तक प्रतिबंधित है और यह गारंटी.....दिन†.....(मास).....19.... तक लागू रहेगी ।

10. लेकिन, हम ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का वचन लेते हैं जो समय समय पर अधिसूचित सार्वजनिक सूचना संख्या : 15—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28—1—72 को शर्तों के अनुसार आवश्यक हों । जब तक इस गारंटी के अन्तर्गत इस तिथि के छह मास के भीतर लिखित रूप में दावे नहीं किए जाते और इसके बाद जैसे.....तक अलग छह मास के भीतर जब तक इन दावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता या कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इसमें निहित सारे दायित्वों से छुटकारा पा जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे ।

.....दिन की तारीख.....

कृते.....

श्री.....के द्वारा

(नाम और ओहदा)

भारत के राष्ट्रपति के लिए उनकी ओर से स्वीकृति ।

हस्ताक्षर.....

---

*यह राशि संविदा के मूल्य के लिए मिलो जुली दर जो 1 एफ एफ—1.822 रुपये है उसमें 1 प्रतिशत को जोड़कर ही निकाली जानी चाहिए ।

†यह तिथि जिस तिथि को संभरकों के लिए सभी प्रकार के भुगतान पूर्ण होने की संभावना है, उसमें एक मास जोड़ते हुए निश्चित की जाएगी ।

टिप्पणी : वह स्टाम्प पेपर, जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, उसे कलक्टर द्वारा न्याय निर्णित किया जाना है ।

अनुबन्ध 2

सेवा में, (दो प्रतियों में)

सचिव,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

डब्ल्यू ई–1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक,

नई दिल्ली–1.

विषय : फ्रान्स ऋण के अन्तर्गत आयात।

ऊपर उल्लिखित क्रेडिट के अन्तर्गत फ्रांस से————————————————का आयात
(माल तथा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्यौरा देते है :—

(क) आयातक का नाम और पता :

(ख) आयात लाइसेंस :

(1) संख्या

(2) दिनांक

(3) धनराशि

(ग) फ्रेंच संभरक का नाम और पता :

(घ) संविदा का दिनांक अथवा आदेशों को स्वीकृति के संभरक के पत्र का दिनांक :

(ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण :

(च) संविदा का मूल्य :
पोतपर्यन्त निशुल्क कीमत

भाड़ा :

बीमा :

कुल :

(छ) जिन तिथियों को उपकरण का पोतलदान किया जाएगा अथवा सेवाएं पूरी की जाएंगी, उनकी विभिन्न तिथियां, प्रत्येक पोतलदान का मूल्य या संविदा में यथा अनुबंधित विभाजन अनुसूची के आधार पर पूरी की गई सेवा।

(ज) वह तिथि जिसको इस संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होगा :

(1) अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में

(2) अन्य भुगतान

2. संविदा की (अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृति पत्र की) और संशोधन (यदि कोई हो) की 10 साक्ष्यांकित प्रतियां और आयात लाइसेंस की एक फोटोस्टेट प्रति संलग्न की जाती है।

*3. एक बैंक गारन्टी जो———————————————(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय निर्धारित बैंक का नाम और पता) द्वारा स्थापित की गई है और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलेक्टर द्वारा न्यायनिर्णित की गई है वह भी संलग्न है । — केवल निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए लागू है

या

*3. आयात प्रलेख———————————को (स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा या राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में कि सी बैंक का पूरा नाम तथा पता) भेजा जा सकता है जो सार्वजनिक सूचना संख्या : 108-आई-टीसी (पीएन)/72, दिनांक 21-7-72 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या : 15-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 28-1-1972 या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सार्वजनिक सूचनाओं या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अधिसूचित ए०डी० परिपत्रों में दिए गए फार्मूले के आधार पर लगाए गए परिवर्तन की मिली-जुली दर पर परिगणित समतुल्य रुपये और फ्रैंच संभरक को भुगतान करने की तारीख से समतुल्य रुपये जमा करने की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज और लाइसेंस शर्तों की कंडिका 15 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित यथा मूल्य की दर पर 1 प्रतिशत कमीशन और आनुषंगिक प्रभारों तथा बैंक प्रभारों (प्रत्येकीय प्रभारों के एक प्रतिशत का 1/8 और उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से कर तथा वास्तविक डाक प्रभारों के लिए खर्चे) के साथ सरकार के लेखे में जमा करने के केवल बाद ही हमें प्रलेख रिहा करेंगे । — सार्वजनिक क्षेत्र प्रकमों के लिये लागू है ।

या

*3. सौदे देने से सम्बन्धित नामखाता और———————————लेखा अधिकारी का पद तथा पूरा डाक पता) के बुक में समंजनीय है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही वे लाइसेंस नियमों की कंडिका 15 के अनुसार मांगे जाएंगे उसका समंजन कर देंगे । — केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों (जिन में राज्य विद्युत बोर्ड शामिल है) के विभागों के लिए लागू है ।

4. आप से अनुरोध है कि फ्रैंच क्रेडिट के अन्तर्गत अर्थयुक्त करने के लिए संविदा अनुमोदित करा लें और संभरकों को सीधे भुगतान की व्यवस्था करने के लिए फ्रैंच प्राधिकारियों को आवश्यक प्राधिकरण पत्र जारी करें।

भवदीय

लाइसेंसधारी

(*जो लागू नहीं है उसे हटा दीजिए)

अनुबन्ध 3

दस्तावेजों की निदर्शी सूची

(कंडिका 28)

1. पोत लदान किए गए उपकरण का मूल्य तथा किसी भी तत्क्षण भुगतान के ब्यौरे के लिए, जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक बीजक ।

2. जहां लागू हो, पैकिंग सूचियों सहित यदि संविदा में निर्धारित किए गए हों तो उनके प्रमाण-पत्र जैसा मामला हो समुद्री बेबाक का बिल या चार्टर पार्टी पोतलदान बिल अथवा हवाई बिल का पूरा सेट ।

3. आवश्यक सीमा शुल्क दस्तावेजों सहित संभरकों द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र, यह प्रमाणित करते हुए कि फ्रान्स सरकार द्वारा प्राधिकृत विदेशी व्यय की प्रतिशतता का फ्रान्स संभरकों ने अनुपालन किया है ।

4. अन्य कोई दस्तावेज ।

अनुबन्ध 4

बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए आवेदन-पत्र

(पारा 39)

सेवा में,

सहायता लेखा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
जीवन दीप बिल्डिंग,
10, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली—1,

हम बैंक गारन्टी संख्या :——————————दिनांक——————————
के अन्तर्गत——————————रुपये के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में हमारे द्वारा निक्षेप किए गए रुपयों की विस्तृत सूचना नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं :—

(1) जिस आयातक/लाइसेंस धारी की ओर से बैंक गारन्टी प्रस्तुत की गई थी उसका नाम और पूरा पता ।

(2) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक, मूल्य और या इसके अधीन आयात के लिए अनुमित पण्य वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण ।

(3) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश पत्र के ब्यौरे (प्रत्येक अनुदेश पत्र के लिए अलग अलग दिया जाना है) ।

(क) पत्र संख्या और दिनांक

(ख) वह राशि जिसके लिए अनुदेश जारी किया गया था ।

(4) किए गए आयातों और रुपया निक्षेपों के ब्यौरे :

(क) बीजक संख्या तथा दिनांक

(ख) बीजक की धनराशि (कुल) फ्रेन्च फ्रेंक्स में

(ग) सम्बद्ध चालान संख्या और दिनांक और राजकोष /बैंक का नाम

(घ) यदि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा है तो उसकी संख्या और दिनांक और जिस पत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया दिल्ली को भेजा गया था, उसकी संख्या और दिनांक

(5) प्रत्येक अनुदेश पत्र के अन्तर्गत प्रयुक्त धनराशि तथा अप्रयुक्त शेष फ्रेंच फ्रेंक्स में धनराशि ।

2. हम प्रमाणित* करते हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदेश पत्र में उलपब्ध फ्रेंच फ्रेंक्स की शेष धनराशि का उपयोग नहीं किया जाएगा । विषयाधीन बैंक गारन्टी के अन्तर्गत हमारे दायित्व विधिवतपूर्ण कर दिए गए हैं ।

3. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि फ्रेंच बैंक को भुगतान किए जाने वाले तार खर्चे सहित बैंक तथा डाक प्रभार हमारे द्वारा फ्रेंच बैंक को विधिवत प्रेषित कर दिए गए हैं ।

4. हम प्रार्थना करते हैं कि बैंक गारन्टी को मुक्त किया जाए और रद्द करने के लिए हमें लौटाया जाए ।

भवदीय,

बैंक के लिए और बैंक की ओर
से प्राधिकृत अभिकर्ता ।

*जो भी लागू हो ।

Subject :—Import Policy for the year April 1973—March 1974.

No. 112.—ITC (PN)73.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol I) for the period April 1973—March 1974,

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol I) for the period April 1973—March 1974 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
19	Section I, Part 'G' Procedural matters—S.No. (ix) —Facilities for Development and Research activities.	Below the existing paragraph 139, the following new paragraph may be deemed to have been inserted : — "139-A, Import of bona-fide technical and trade samples can be made upto Rs. 1,000/- without an import licence under O.G.L IV, Requests for import in excess of Rs. 1,000/- and upto Rs. 5,000 will be considered by the regional licensing authorities."
70	Section II, Part V.	Below the S. No. 101-A/V the following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns :—

1	2	3	4
101-C.	Cellolose acetate film scrap.	Nil.	(1) A.U. on restricted basis for manufacture of bangles. (2) Import of cellolose acetate off-cuts and cuttings will not be permitted,

Page No. of the Red Book (Vol I)	Reference	Details of amendments.
286	Section V, Appendix 43, S. No. 13— Cones for Loudspeakers, item No. (ii),	*For* the existing entry "*Mohilean* 'M" *Read* "*Mobilcar* 'M'."
343	Section V, Appendix 74, Part V.	Below the S. No. 101-A/V, the following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns :

1	2	3
	101-C Cellulose acetate film scrap,	50% of the face value of the licence,
348	Section V, S. No. 22, 31/V (Appendix 28), item No. 14—Phosphorous (red), column 3.	*For* the existing entry "Release orders will be issued to the extent of 25% of the entitlement." *Read* "Release orders will be issued to the extent of 5% of the entitlement."

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय : अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात निति ।

संख्या : 112-आई०टी०सी० (पीएन)/73.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा०–1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन, अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेड बुक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
19	खंड–1, भाग 'जी' कार्यविधिक मामले–क्रम सं० (9) विकास तथा अनुसंधान कार्यों के लिए सुविधाएं	वर्तमान कंडिका 139 के नीचे निम्नलिखित नई कंडिका को जोड़ा गया समझा जाए :— "139-ए" खुले सामान्य लाइसेंस–4 के अन्तर्गत 1,000/- रुपये तक वास्तविक तकनीकी तथा व्यापार नमूनों का आयात बिना आयात लाइसेंस के किया जा सकता है । 1,000/- रु० से अधिक तथा 5,000/- रु० तक के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा ।"
70	खंड 2 भाग–5	क्रम संख्या : 101-ए/5 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियों को तत्सम्बन्धी कालम के अन्तर्गत निविष्ट किया गया समझा जाए :—

1	2	3	4
101-सी	सैलूलोज ऐसिटेट फिल्म स्क्रैप.	शून्य	(1) चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रतिबन्धित के आधार पर वास्तविक उपयोक्ता । (2) सलूलोज ऐसिटेट आफ-कट्स तथा कटिंग के आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।
286	खंड 5 परिशिष्ट 43, क्रम संख्या 13—लाउडस्पीकरों के लिए कोन्स, मद संख्या (2).		वर्तमान प्रविष्टि **माहिलियम "एम" के लिये** 'मोबिलकार एम' पढ़ें ।
343	खंड 5, परिशिष्ट—74, भाग—5.		क्रम संख्या 101—ए/5 के नीचे तत्सम्बन्धी कालम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां निविष्ट की गई समझी जाए :—
101—सी	सैलूलोज ऐसिटेट फिल्म स्क्रैप.		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत ।
348.	खंड 5, क्रम संख्या-22,31/5 (परिशिष्ट—28), मद संख्या: 14—फासफोरस (लाल), कालम—3.		वर्तमान प्रविष्टि "रिहाई आदेश हकदारी 25 प्रतिशत की सीमा तक जारी किए जाएंगे" के लिए "रिहाई आदेश हकदारी 5 प्रतिशत की सीमा तक जारी किए जाएंगे" पढ़ें ।

हस्ताक्षरित

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973